

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-३)



क्रमांक-एफ-५१(१)ग्रामीण/शिका./नरेगा/२०११

जयपुर, दिनांक : १९/५/२०११.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी रकीम राजस्थान,
समस्त(राजस्थान)

विषय:- एफ.आई.आर. दर्ज करवाते समय बरती जाने वाली सावधानियां।

महोदय,

विभाग की विकास योजनाओं में कपट, सार्वजनिक धन का दुर्विनियोग, आपराधिक प्रब्यास भंग, मूल्यवान प्रतिभूति में हेराफेरी, फर्जी बिल, वाऊचर व रिकार्ड की तैयारी, गलत माप करने सहित अनेक प्रकार के भष्ट आचरण/ कृत्यों की शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों की आपके द्वारा प्राथमिक जांच करवाने के पश्चात पुलिस थाने में आपराधिक अभियोजन दर्ज करवाने का निर्णय लिया जाता है।

यह पाया गया है कि अनेक प्रकरणों में पुलिस द्वारा चालान के स्थान पर पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अथवा गलतफहमी वाक्या के आधार पर अपराध का घटित होना नहीं पाया जाते हुए अंतिम रिपोर्ट लगा दी जाती है जबकि वास्तव में अपराध घटित हो चुका होता है। ऐसे प्रकरणों का प्रमुख कारण यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले कार्मिक द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ विस्तृत एवं स्पष्ट रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची-II के पैरा 36 (e) में यह प्रावधान है कि वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य होने की दशा में जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करें कि संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। नरेगा लोकपाल के संबंध में जारी निर्देशों के अध्याय III के पैरा 8.1.5 में भी इसी आशय का प्रावधान है। विभाग द्वारा जारी नरेगा वित्तीय एवं लेखा मार्गदर्शिका २०११ के पृष्ठ १०६ से १११ पर, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग I के नियम २२ एवं इन्हीं नियमों की परिशिष्ट - ३ में भी कपट, हानियों एवं दुर्विनियोग के प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाही एवं पुलिस थाने में दर्ज करवायी जाने वाली रिपोर्ट की प्रक्रिया का स्पष्ट एवं विस्तृत उल्लेख है।

उक्त समस्त विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं की प्रति प्रेषित कर लेखा है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी, अभियंतागण एवं लेखा कार्मिकों को इनकी प्रति उपलब्ध कराते हुये इनका सतत त्रैमासिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करावें ताकि दर्ज करवायी जानी वाली प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस को अनुसंधान करने में सहायता मिल सके एवं प्रत्येक प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध निर्णायिक कार्यवाही हो सके।

दर्ज करवायी जानी वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट में निम्न बिन्दुओं को निश्चित रूप से सम्मिलित किया जावें :- (i) प्रकरण का विषय, (ii) प्रकरण का विस्तृत एवं तथ्यात्मक विवरण, (iii) जिसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी जा रही है उससे संबंधित समस्त दस्तावेजी साक्ष्य, (iv) आरोपी का पूरा पता, (v) कार्य का तकमीना, कार्य की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, (vi) सामग्री के वाऊचर, माप पुस्तिका की प्रति, संबंधित रोकड़ एवं स्टोक पंजिका, (vii) प्रकरण में की गई प्राथमिक जांच एवं लिये गये बयान, (viii) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम मय पिता का नाम उसका वर्तमान व स्थायी पता तथा (ix) संलग्न किये गये दस्तावेजों की सूची।

उक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को 15.06.2011 से पूर्व अवगत करवाया जावें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार किता 16

भवदीय,

(सी.एस.राजन)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. पुलिस अधीक्षक प्रशासन एवं अन्वेषण, सीआईडी/सी.बी राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम/द्वितीय (मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी) जिला परिषद समस्त(राजस्थान)।

परि.निदेश एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस